



भारत में चुनाव सुधार : एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में

डॉ० जयवीर सिंह¹, डॉ० सिरिल गोरन², डॉ० सुशील कुमार शर्मा³, डॉ० महीपाल सिंह⁴, हरीश कुमार,⁵ मोहित कुमार रस्तोगी⁶¹*चौ० चरणसिंह विश्वविद्यालय, परिसर, मेरठ (उ०प्र०)-250004*Corresponding Author : Email: drjvsccsu@gmail.comCitation: डॉ० जयवीर सिंह, (2024). भारत में चुनाव सुधार : एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में , *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(8) 01-04

Doi: 10.53555/kuey.v30i8.11100

ARTICLE INFO

ABSTRACT

यह हमारा सौभाग्य है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाने जाते हैं। निःसंदेह भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी तक फैली हुयी हैं। लेकिन हमारे लोकतंत्र की कुछ खमिया भी हैं। क्षरण, प्रकृति का नियम है, इसलिए हमारे लोकतंत्र में समय के साथ-साथ कुछ ऐसी चीजें भी आ गई हैं जिनके कारण लोकतंत्र से हमारा भरोसा कभी-कभी उठने लगता है। ऐसा तब होता है जब लोकतंत्र की नहीं, बल्कि व्यवस्था की है। इससे जुड़े लोगों की है। चुनाव या निर्वाचन लोकतंत्र का आधार कहा जाता है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है एवं उन्हें सत्ता सौंप देती है। यहाँ चुनावों को 'मोक्षसव' की संज्ञा दी जाती है। दुर्भाग्यवश आज हमारी चुनाव प्रक्रिया में कुछ खमियाँ पाई गई हैं जिसके कारण लोकतंत्र का अस्तित्व भी कभी-कभी खतरे में लगता है। वस्तुतः भारतीय चुनाव प्रक्रिया में सुधार किए बिना लोकतंत्र की रक्षा करना संभव है क्योंकि निष्पक्ष एवं स्वच्छ चुनावों के बिना न तो लोकतंत्र का कोई अर्थ और न ही उसकी कोई उपयोगिता।

कीवर्ड— चुनाव, लोकतंत्र, चुनाव आयोग, समिति

लोकतंत्र या प्रजातंत्र अंग्रेजी के 'डेमोक्रेसी' का हिन्दी पर्याय है 'डेमोक्रेसी' शब्द मूल यूनानी भाषा से लिया गया है (डेमोस—जनता, क्रेशिया—शासन) जिसका शाब्दिक अर्थ है— "जनता का शासन"। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इसे सबसे सरल शब्दों में परिभाषित भी कर दिया "जनता का, जनता के लिए एवं जनता द्वारा चुना शासन।" शुरुआती तौर पर 'लोकतंत्र' शब्द का उपयोग अनेक लोगों के शासन के रूप में किया गया न कि आज की तरह सकारात्मक रूप में, इसका मतलब था सत्ता शक्ति एक हाथ में न होकर कई व्यक्तियों में समाहित होना। अरस्तू ने छः प्रकार की शासन पद्धतियों का वर्णन किया था— (1) राजतंत्र, (2) निरंकुश तंत्र, (3) कुलीन तंत्र, (4) वर्ग तंत्र, (5) लोकतंत्र व (6) भीड तंत्र। अरस्तू ने डेमोक्रेसी को भीड तंत्र कहा, इसका मतलब था कि निर्धन, अज्ञानी एवं अशिक्षित लोगों का शासन। प्राचीन काल में डेमोक्रेसी (भीड तंत्र) को न तो आदर्श शासन पद्धति माना जाता था और न ही इसे सकारात्मक रूप में लिया जाता था, लेकिन सत्रहवीं शताब्दी में लेवलर्स आंदोलन (इंग्लैंड) के बाद लोकतंत्र का अर्थ सकारात्मक रूप में लिया जाने लगा। वास्तव में यह एक जीवन पद्धति, एक सामाजिक व्यवस्था, एक सांस्कृतिक प्रतिमान, राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप एवं राज्य का एक प्रकार है। दुर्भाग्यवश लोकतंत्र का यह बहुआयामी आदर्श रूप, व्यवहार में कहीं भी दिखायी नहीं देता है, इसमें बहुत सी कमियाँ हैं।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में कमियाँ कई स्तरों पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खामी है निर्वाचन के तरीके में। चूंकि चुनाव की बुनियाद पर ही लोकतंत्र की इमारत खड़ी होती है इसलिए चुनाव प्रक्रिया में सुधार आज समय की जरूरत है। चुनाव का सीधा अर्थ है अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने ही प्रतिनिधियों को चुनना एवं उन्हें सौंपना। आज की सभी लोकतांत्रिक सरकारें जनता द्वारा चुनाव के जरिए चुनी जाती हैं। मत देने और जनता को अपने लिए कानून बनाने वाले प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार ही मताधिकार कहलाता है, एवं यह चुनावों द्वारा ही प्राप्त होता है। 'चुनाव व्यवस्था' लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण है। भारत एक लोकतांत्रिक प्रणाली वाला देश है, जहाँ केंद्र, प्रदेश एवं स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार समय-समय पर चुनाव होते रहते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्द्ध-न्यायिक संस्थान है, जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भारत के विभिन्न प्रतिनिधिक संसाधनों में प्रतिनिधित्व चुनने के लिए किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को की गई थी।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-324 में निर्वाचन आयोग से जुड़े उपबंधों का उल्लेख मिलता है, इसके द्वारा संविधान प्रदत्त निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग को दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल छः वर्ष का होता है या फिर आयु 65 साल, जो भी पहले हो। जबकि अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त का सम्मान एवं वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, इन्हें संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही पद से हटाया जा सकता है।

भारतीय निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति आदि चुनाव से संबंधित कार्य होते हैं जबकि ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगर परिषद और तहसील एवं जिला परिषद के चुनाव कार्य संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के पास होते हैं। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। सन् 1950 में निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात् से 15 अक्टूबर, 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित यह एकल सदस्य निकाय था। 16 अक्टूबर, 1989 से 1 जनवरी, 1990 के दौरान आर०बी०एस० शास्त्री मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त के रूप में एस०एस० धनोआ एवं वी०एस० सहगल सहित तीन सदस्यी निकाय बन गया। 2 जनवरी, 1990 से 30 सितम्बर, 1993 तक यह एक एकल सदस्यी निकाय बना और पुनः 1 अक्टूबर, 1993 से 3 सदस्यी निकाय बन गया। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्यों में शामिल हैं— निर्वाचनों का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव, निर्वाचन नामावली तैयार करना। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के दलों के रूप में वर्गीकरण व मान्यता देना, दलों एवं निर्दलीय को चुनाव चिन्ह देना, संसद विधायक की अयोग्यता पर राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह देना, गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करना आदि।

वर्षों से निर्वाचन आयोग पूरे भारत में सफलतापूर्वक चुनाव करवाता आ रहा है यह कोई आम बात नहीं है। भारत की 135 करोड़ जनता लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती है जिसकी निरंतर व्यवस्था निर्वाचन आयोग ने बखूबी निभाई। लेकिन कुछ वर्षों से हिंसा एवं चुनावी दुर्भावनाओं के साथ काले धन और अपराधिक तत्वों का बोलबाला रहा है इसके परिणामस्वरूप चुनावों का राजनीतिकरण हुआ है, इतना ही नहीं राज्यों की सरकारों द्वारा सत्ता का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जाता है जिसके तहत कई बार चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर प्रमुख पदों पर तैनात योग्य अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया जाना है। निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ भी नहीं हैं, हालांकि कुछ वर्षों से निर्वाचन की निष्पक्षता पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं और यह धारणा जोर पकड़ रही है कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के दबाव में काम कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं दो अन्य आयुक्तों के चुनाव में प्रमुख संस्थागत कमियों में से एक है कम पारदर्शिता का होना, क्योंकि इसका चयन मौजूदा सरकार की पसंद पर आधारित होता है। इसके अलावा ईवीएम में खराबी एवं वोट दर्ज ना होने के कारण भी चुनाव आयोग प्रश्नों के घेरे में आ जाता है।

वर्तमान समय में सत्ताधारी दल के पक्ष में निचले स्तर पर नौकरशाही की मिली-भगत के खिलाफ भी सतर्क रहना आयोग की बड़ी समस्या में से एक है। आयोग को इस बात का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम एवं योग्य व्यक्ति ही दायित्व सभाले। उपरोक्त सभी त्रुटियों समस्याओं एवं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव संबंधी सभी व्याधियों, दोषों एवं कमियों को दूर करने की दिशा में कई प्रयास किए गए जिनमें प्रमुख रूप से राव समिति (1969), तारकुंडे समिति (1974), स्वर्ण सिंह समिति (1976), दिनेश गोस्वामी समिति (1990), विधि आयोग की रिपोर्ट (1999), चुनाव आयोग की रिपोर्ट (2004), तनखा समिति (2010) आदि के सुझाव दुर्भाग्यपूर्ण रहे, क्योंकि यह भी सभी चुनाव सुधारों के कागजी घोड़े साबित हुए। समय बीतता गया, मतदान की बढ़ती हुई समझदारी, उम्मीदवारों को अपने अधिकारों का बोध, उनके राजनीतिक दलों का गठन तथा राजनीतिक, आर्थिक एवं कानून व्यवस्था की तेजी से बढ़ती हुई परिस्थितियों को देखते हुए निर्वाचन पद्धति में सुधार की आवश्यकता महसूस होने लगी। निर्वाचन आयोग का विस्तार, अनिवार्य मतदान, मतदाताओं को शिक्षित करना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, बूथ कब्जे को जघन्य अपराध की श्रेणी घोषित करना, जमानत जब्ती के प्रावधान में परिवर्तन, निर्वाचन याचिकाओं का शीघ्र निर्णय, चुनाव खर्च प्रशासन द्वारा उठाया जाना, दल प्रणाली को तर्क संगत बनाना, आचरण संहिता की अवधारणा पर प्रतिबंध एवं चुनाव अभियान की अवधि कम करना आदि उठाए गए कदमों में जहां एक ओर निर्वाचन आयोग की शक्तियों में विस्तार किया, निर्वाचन को सशक्त बनाया वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र के इस महापर्व को नए आयाम दिए और जनमानस का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया।

भारत के आम चुनाव 1952 से 2019 तक तथा मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तथ्य जो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से मतदान व्यवहार को प्रभावित किया है, जैसे राजनीतिक दल, जातिवाद, भाषावाद, धर्म व साम्प्रदायिकता, अभी तक भारतीय मतदाताओं ने अपने मतदान में जिस विवेक और कुशलता का परिचय दिया कुछ अपवादों को छोड़कर अनुशासनप्रियता प्रदर्शित की और मताधिकार की कीमत समझी, इससे भारत में संसदीय लोकतंत्र का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। राजनीतिक सत्ता तक पहुंचने का एक मात्र रास्ता लड़ना और बहुमत का समर्थन प्राप्त करना होता है। प्रजातंत्र में चुनाव लड़े और जीते बिना राजनीतिक सत्ता तक नहीं पहुंचा जा सकता। चुनाव लड़ना और जीतना मात्र योग्यता का सवाल नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए धन की पर्याप्त आवश्यकता पड़ती है। लार्ल एच० बेकर के शब्दों में "चुनाव जीतने के लिए किसी भी राजनीतिक दल का विधि निर्माण का एक ऐसा कार्यक्रम निश्चित करना पड़ता है जो मतदाताओं को आकर्षित करें। 1971 के बाद चुनाव प्रक्रिया एवं राजनीति में बढ़ती भागीदारी ने चुनाव और महंगा कर दिया। चुनाव में जन निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने वाली जीपों की व्यवस्था, जुलूस प्रदर्शन, जनसभाएं एवं लाउडस्पीकर, बैनरों पोस्टरों, पर्चों एवं पुस्तिकाओं का प्रकाशन आदि के लिए चुनाव में धन जहां से आता है उसके निम्न स्रोत है। जैसे- पार्टी सदस्यों का शुल्क, उद्योगों का संचालन करने वाली कंपनियां, जनता से प्राप्त थैलियां चंदा, गुप्त धन या काला धन, विदेश सरकारों से प्राप्त धन आदि। चुनाव में भ्रष्टाचार को जन्म देने वाला एक महत्वपूर्ण कारण मंत्री पद पर आसीन उम्मीदवारों द्वारा अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग है। चुनाव के पूर्व मतदाताओं को नाना प्रकार के प्रलोभन दिये जाते हैं। मतदाताओं को कपड़ा, साईकिल, साडियां, धोती और नगद पैसा दिया जाता है। चुनाव चंदे के नाम पर भारी भरकम रकम जुटाने में कई राजनीतिक दल शामिल हैं। उद्योगपति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दोनों तरफ पैसा देते हैं। पैसा देना उनके लिए निवेश का ही रूप है। जिस दल या नेता को वे पैसा देते हैं उस दल या नेता के सत्ता में आने के बाद अपना हित साधने वाले कार्यों को अंजाम दिलवाते हैं। चुनाव में आय-व्यय के ब्यौरे के लिए राजनीतिक दलों के द्वारा फार्म-22(ए) भरवाया जाना चाहिए।

चुनाव आयोग द्वारा 1970 में चुनाव सुधार के लिए पहला कदम उठाया गया। 1975 में कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ आदि ने अनेक सुझाव दिये। 1977 में वी०एम० तारकुंडे की अध्यक्षता एवं दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा चुनाव सुधार के भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे गए। 1990 के दशक में टी०एन० शेषन के रूप में ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त पाया जो राजनेताओं पर नकेल कसने में कामयाब हुआ। जनता का निष्पक्ष चुनावों में विश्वास जागा था। टी०एन० शेषन के कारण आचार संहिता को जिस सख्ती से लागू किया था उसने निःसंदेह देश की चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया। वर्तमान में चुनाव सुधारों में शामिल कुछ चीजें निम्नवत हैं-

1. मतपत्र के प्रयोग के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा मतदान,
2. स्वैच्छिक प्रतिनिधियों को हटाने या बुलाने की व्यवस्था,
3. मतगणना की सही विधि का विकास,
4. स्त्रियों एवं निर्धन समूहों के लिये सीटों का आरक्षण,
5. प्रत्याशियों के लिए योग्यता एवं अर्हताएं निर्धारित करना,
6. निष्पक्ष निर्वाचन आयोग का गठन,
7. चुनाव प्रचार एवं आदर्श चुनाव संहिता का कड़ाई से पालन,
8. मतदाताओं के लिये भयमुक्त वातावरण।

निर्वाचन की शुद्धता बनाए रखना लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारत में चुनाव सुधार के लिए यही सुझाव दिया जा सकता है। जिस प्रकार विश्व के अन्य देशों बेल्जियम, स्विटजरलैंड, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अर्जेंटीना साइप्रस, पेरू, ग्रीस आदि में मतदान अनिवार्य कर दिया गया है, उसी प्रकार भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित धारा में अनिवार्य मतदान का प्रावधान शामिल करना होगा। भारतीय लोकतंत्र में 'चुनाव सुधार' यह एक ऐसा विषय है, जो हमारा संपूर्ण गतिविधियां एवं क्रियाकलापों से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। भारत में आजादी के तीन वर्ष बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई और इसके लगभग दो साल बाद चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भारतीय लोकतंत्र की कल्पना करते ही हमारे मस्तिष्क में संविधान का ध्यान आता है, जिसमें भारत की समस्त लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ चुनाव प्रक्रिया का भी वर्णन है। लोकतंत्र राज्य व्यवस्था को बुनियादी ढंग से चलाने की व्यवस्था है, जिसमें जनता 'स्व' से शासित होना चाहती है।

लोकतंत्र की व्यवस्था को अनवरत बनाए रखने के लिए ही चुनाव का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, फिर लोकतंत्र की जीवंतता के लिए चुनाव सुधार की आवश्यकता पड़ती है। यह एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। गौरतलब है, भारत अपनी आजादी के लगभग 76 साल पूरे कर चुका है और यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यही नहीं, इसके लोकतंत्र की मजबूती की मिसाल पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक है। इसका कारण भी है कि लोकतंत्र को ताक पर रखने वाले और तानाशाही होने वाले पड़ोसी देशों से घिरे होने के बावजूद भारत के लोकतंत्र की बुनियाद काफी मजबूत है। भारतीय लोकतंत्र वर्षों के संघर्षों का परिणाम है, जिसकी बुनियाद में हमारे देश के शहीदों की यादें दबी पड़ी हैं। गुलामी की बेड़ियां तोड़ने और सुंदर भारत का सपना आंखों में सजाये भारत के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की तिलांजलि तक दे दी। इसी क्रम में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सरदार वल्लभभाई पटेल और सुभाष चन्द्र बोस जैसे तमाम लोगों ने भारत को आजादी का सबेरा दिखाया। 1947 के बाद भारत ने अपना नया अध्याय शुरू किया और स्वच्छंद माहौल में आजादी के तीन वर्षों बाद भारत ने खुद को गणतंत्र घोषित कर दिया। तब से लेकर अब तक भारत का लोकतंत्र निरंतर समृद्ध और सुदृढ़ ही हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद-326, वयस्क मताधिकार देता है यह अधिकार प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेद भाव के दिया गया है, जो मजबूत लोकतंत्र को ऊँचाईयों पर ले जाने की पहली सीढ़ी है। प्रशानिक कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण की व्यवस्था करने से अधिकारियों की शक्ति तथा उनके विवेकाधिकार के दुरुपयोग के विरुद्ध मौलिक रक्षा होती है। हमारा संविधान निर्माताओं ने इसी प्रकार के आशय की प्राप्ति के लिए कुछ अनुच्छेदों को सम्मिलित करने का महत्पूर्ण प्रयत्न किया था जिससे कि न्यायालय प्रशासी कार्यों पर नियंत्रण कर सकें।

आधुनिक युग प्रजातंत्र का युग है, जिसमें जनसंख्या, क्षेत्र इत्यादि की विशालता के कारण नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से शासन के संचालन का अवसर प्राप्त नहीं होता। अतएव नागरिक अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही सत्ता संचालन में अपनी सहभागिता करते हैं। इस तरह मताधिकार एवं प्रतिनिधित्व, प्रजातंत्र के बुनियादी आधार हैं, जिन्हें कार्यरूप देने के लिए निर्वाचन की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र में निर्वाचन, जनता को राजसत्ता से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। निर्वाचन के द्वारा ही आम नागरिक देश की राजनीतिक व्यवस्था में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून बनाते हैं, सरकारों का निर्माण करते हैं, व उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। इस प्रकार स्वस्थ मापदण्डों पर आधारित निर्वाचन प्रणाली व जनप्रतिनिधित्व, आदर्श लोकतंत्रीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। भारतीय चुनावों में अधिक धन व्यय एक बहुत बड़ी समस्या रही है। इसके निवारण के लिए समय-समय पर कई समितियां गठित की गयीं। दुर्भाग्यवश आज तक कोई परिणाम लाभकारी साबित नहीं हुआ।

नकारात्मक पक्ष

चुनावों में भारी धन फूँके जाने का परिणाम यह होता है कि साधनहीन किन्तु बुद्धिमान सेवाभावी लोग चुनाव लड़ने से वंचित रह जाते हैं जबकि धनवान, स्वार्थी, मूर्ख व भ्रष्ट तत्व चुनाव जीतकर विभिन्न जन-प्रतिनिधि पदों पर सुशोभित होने लगते हैं। आज जिस तरह से चुनावी व्यय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उसे स्वयं अपने स्रोतों से पूरा करना किसी भी उम्मीदवार के बलबूते की बात नहीं रह गयी है। इसे पूरा करने के लिये विभिन्न राजनीतिक दलों व उनके उम्मीदवारों को, जिनमें निर्दलीय भी शामिल हैं, विभिन्न अज्ञात एवं अवैधानिक स्रोतों से धन एकत्रित करना होता है— जैसे औद्योगिक घरानों द्वारा दिया गया गुप्त रूप से काला धन व चंदे के रूप में दिया गया मुनाफे का धन, तस्करों, माफियाओं द्वारा दिया गया चंदा एवं विदेशों से प्राप्त गुप्त धन इत्यादि। इस सबका परिणाम यह होता है कि एक ओर जहाँ महंगे चुनावों से भ्रष्टाचार, तस्करी, शोषण, कालाबाजारी को बढ़ाना मिलता है। दूसरी ओर सामंत, गुण्डा, तस्कर माफिया जैसे असामाजिक तत्व चुनाव की राजनीति से जुड़कर आम मतदाताओं पर हावी हो जाते हैं। चुनावों ने नेताओं, माफियाओं, गुण्डों एवं तस्करों को गिरोह अपनी धन लालासा को पूरा करने के लिये देश के धन कानून-व्यवस्था व राष्ट्रीय हितों अपनी-अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिये कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। इस चुनावी प्रतिस्पर्धा में विभिन्न उम्मीदवार एक-दूसरे की तुलना में मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से उन्हें प्रलोभन देने का अधिक प्रयास करेंगे। इन प्रलोभनों में नकद पैसा, अनाज, कपड़े, कम्बल, साड़ियाँ, रजाई और शराब इत्यादि अनुचित तरीकों का सहारा आदतन लिया जायेगा।

समस्या के समाधान के हेतु पहला सीधा-साधार विकल्प तो यही हो सकता है कि सरकार उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय हेतु बजट में वित्तीय प्रावधान करे परन्तु विभिन्न बजटीय प्रावधान में संवैधानिक एवं न्यायालयीन बाधाएँ आ सकती हैं। दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि सरकार एक पृथक चुनाव कोष की स्थापना कर ऐसे उपाय करे जिसे उद्योगपति, तस्कर माफिया अपने काले धन के मुनाफे के कुछ हिस्से को इस चुनाव कोष में जमा करने को प्रेरित हो सके। प्राइवेट कम्पनियों द्वारा सीधे राजनीतिक दलों व उनके उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में दिये जाने वाले धन पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें चुनाव कोष में ही धन देने की निर्देशित किया जाना चाहिए। यद्यपि औद्योगिक घराने माफिया व तस्कर इस तरह के चुनाव कोष में पैसा देने से कन्नी काट सकते हैं, क्योंकि वे अभी उन्हीं दलों को पैसा देते आये हैं जिनकी नीतियाँ एवं कार्यक्रम उनके हितों के अनुरूप होती हैं, जो विजयी होने पर उन्हें भारी लाभ पहुँचाते हैं। कोष से पैसा दिये जाने से वह पैसा सभी दलों को जायेगा, ऐसे दलों को भी जो उनके औद्योगिक हितों को क्षति पहुँचा सकते हैं, परन्तु ऐसे राजकीय प्रयास करना समीचीन होगा, कि ये वर्ग केवल चुनाव कोष में ही पैसा देने के लिये प्रोत्साहित अथवा विवश हो सके। इस राशि में व्यय की हदें भी निर्वाचन आयोग द्वारा ही निर्धारित की जानी चाहिए। जब तक इस तरह का वैधानिक उपबन्ध नहीं कर लिया जाता तब तक चुनावी व्यय को नियंत्रित करने के लिये आवश्यक है कि उम्मीदवार के चुनाव व्यय में उसके स्वयं के द्वारा मिले, परिवारजनों, संबंधियों व दल द्वारा किये गये उस धन को भी शामिल किया जाना चाहिए, जो उसने चुनाव जीतने अथवा चुनाव को प्रभावित करने में किया हो, चाहे वह नामांकन के पूर्व में ही क्यों न किया गया हो।

सकारात्मक पक्ष

‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ का विचार लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं के चुनाव को एक साथ, एक ही समय पर कराए जाने पर बल देता है जिससे दोनों चुनाव एक निश्चित समय के भीतर हो सकें। इसके निम्न लाभ हैं—

1. इससे मतदान में होने वाले खर्च, राजनीतिक पार्टियों के खर्च आदि पर नजर रखने में मदद मिलेगी एवं जनता के पैसों को फिजूल खर्ची से बचाया जा सकेगा।
2. प्रशासनिक व्यवस्था एवं सुरक्षा बलों एवं एजेंसियों के बोझ को कम किया जा सकेगा।
3. प्रशासनिक मशीनरी चुनावी मोड़ के बजाए विकास संबंधी गतिविधियों में अपना बहुमूल्य समय दे पायेगी।
4. यदि पांच वर्ष में एक बार ही चुनावी तैयारी की जाएगी। तो राजनीतिक दलों, निर्वाचन आयोग एवं अर्द्धसैनिक बलों आदि को अधिक समय मिल पाएगा और चुनाव का आयोजन अत्यधिक सुचारू रूप से किया जा सकेगा।

निष्कर्ष

यह विचार कम चुनौतीपूर्ण नहीं। संसदीय प्रणाली की प्रथाओं एवं परंपराओं पर विचार करते हुए एक साथ चुनाव कराना एक बड़ी समस्या है, कभी-कभी सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाती हैं ऐसी स्थिति में वहाँ चुनाव आवश्यक हो जाता है। वहीं दूसरी ओर इस विचार पर ही (एक राष्ट्र एक चुनाव) सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ लाना और विश्वास दलाना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन यह विचार कम चुनौतीपूर्ण नहीं। संसदीय प्रणाली की प्रथाओं एवं परंपराओं पर विचार करते हुए एक साथ चुनाव कराना एक बड़ी समस्या है, कभी-कभी सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाती हैं ऐसी स्थिति में वहाँ चुनाव आवश्यक हो जाता है। वहीं दूसरी ओर इस विचार पर ही (एक राष्ट्र एक चुनाव) सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ लाना और विश्वास दलाना नामुमकिन सा लगता है। एक आम चुनाव कराने के लिए इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल की जरूरतें दोगुनी हो जाएगी क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग को सेट (विधान सभा एवं लोकसभा के लिए) उपलब्ध कराने होंगे। इसके अलावा मतदान के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था हेतु अतिरिक्त कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कश्यप, सुभाष, ‘दल-बदल व राज्य की राजनीति’, श्रीवाली प्रकाशन, मेरठ, 1970, पृष्ठ 80
2. चौधरी, बासुकी नाथ, ‘भारतीय शासन और राजनीति’, ओरियन्ट ब्लैकस्वान प्रा0लि0, नई दिल्ली, 2011, पृष्ठ 50
3. नरुला, बी0पी0, ‘भारतीय राजनीति’, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2016, पृष्ठ 93
4. जोशी, आर0पी0 व आर0एस0 आठा, ‘भारतीय राजनीतिक व्यवस्था : पुनर्संरचना के विविध आयाम’, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2009, पृष्ठ 15
5. वर्णपाल, महेश कुमार, ‘भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था’, कासमास पब्लिकेशन, दिल्ली, 2017, पृष्ठ 25
6. जैन, पुखराज तथा फडिया बी0एल0, ‘भारतीय शासन एवं राजनीति’, विश्व भारती प्रकाशन, दिल्ली, 2014, पृष्ठ 80
7. वाजपेयी, अन्तिमा : भारतीय निर्वाचन पद्धति ‘ एक समीक्षात्मक अध्ययन, 1992, पृष्ठ 120
8. दिघे, शरद, सुन्दरियाल, आर0बी0, ‘चुनाव सुधार व प्रक्रिया, 1997, पृष्ठ 12
9. रंजन, राजीव, चुनाव, लोकसभा और राजनीति, ज्ञान गंगा, दिल्ली, 2000, पृष्ठ 16
10. जैन, विलांजना, चुनाव सुधारों पर विचार ‘लोकतंत्र समीक्षा’ सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली, अंक-1-4, 2004, पृष्ठ 89-96
11. चौहान, घनश्याम, भारतीय राजनीतिक और सरकार सुमित एण्टरप्राइज, नई दिल्ली, पृष्ठ 9
12. मिश्रा, एस0एन0, लोकप्रशासन के बदलते आयाम, भारतीय लोकप्रशासन, संस्थान, दिल्ली, 2005, पृष्ठ 15